आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–117/2021
श्री कृष्ण मोहन पासवान
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
13.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेशवाद संख्या–**13889/2021** में दिनांक–**01.12.2021** को पारित आदेश के आलोक में **श्री कृष्ण मोहन पासवान** द्वारा यह सेवा अपील दायर की गई है। 2. जिलाधिकारी, **वैशाली, हाजीपुर** से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री **पासवान** के विरूद्ध **वैशाली** समाहरणालय के आदेश ज्ञापांक–**601** दिनांक–**10.05.2021** को संसूचित शास्ति से संबंधित है। 3. अभिलेख की समीक्षा के पश्चात् निम्नलिखित तथ्य अंकनीय है– (i) पुलिस अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक–11672/गो0 दिनांक–16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कृष्ण मोहन पासवान, चौकीदार, वीट नं0–3/2, थाना–राजापाकर (बरौटी ओ0पी0) द्वारा अंचल–राजापाकर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–बसौली में तीन ग्रामीणों की मृत्यु सूचना स्थानीय थाना को नही दी गई। जिसके लिए श्री पासवान को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। (ii) पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आलोक में श्री पासवान को वैशाली समाहरणालय के आदेश ज्ञापांक–2113 दिनांक–16.11.2017 द्वारा निलंबित किया गया। (iii) अंचल अधिकारी, राजापाकर द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में वैशाली समाहरणालय के ज्ञापांक–102 दिनांक–23.01.2018 द्वारा श्री कृष्ण मोहन पासवान, चौकीदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर समाहर्त्ता, वैशाली को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iv) अंचल अधिकारी द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री पासवान के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है–

''1) पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्या0 आ0–11672/गो0 दिनांक–16.11.2017 के द्वारा राजापाकर (बँराटी ओ0पी0) अन्तर्गत ग्राम–बसौली में तीन ग्रामीणों की मृत्यु हो गयी। इतने गंभीर घटना के संबंध में चौ0 3/2 कृष्ण मोहन पासवान द्वारा सूचना स्थानीय थाना को नहीं दिया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। चौकीदार से पुछताछ करने पर किसी प्रकार का संतोषप्रद जबाब नहीं दिया गया। जो चौकीदार कृष्ण मोहन पासवान की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

2) जिला पदाधिकारी महोदय, वैशाली के कार्या0 आ0 2113 दिनांक–16.11.2017 के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, वैशाली के द्वारा प्रतिवेदित कर्त्तव्य के दौरान बरती गयी लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा कर्त्तव्यहीनता के आरोप में तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही के अधीन करने का निर्णय लिया जाता है।''

(v) संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, वैशाली के पत्रांक–1141/जि0भू0सु0, दिनांक–02.08.2019 को समर्पित अधिगम में निम्नलिखित मंतव्य अंकित है–

''विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपित कर्मी श्री कृष्ण मोहन पासवान निलंबित चौकीदार, अंचल कार्यालय, राजापाकर को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी निर्धारित तिथि को आरोपी कर्मी उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित रूप से समर्पित किया है। आरोपी कर्मी से प्राप्त स्पष्टीकरण उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, राजापाकर से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोप यथा कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा कर्त्तव्यहीनता का आरोप प्रमाणित होता है।''

(vi) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के अधिगम के संबंध में श्री पासवान को नियमानुसार उनका पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।

(vii) श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं सुनवाई के पश्चात जिला पदाधिकारी, वैशाली के

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश ज्ञापांक–316 दिनांक–04.03.2021 द्वारा श्री कृष्ण मोहन पासवान, निलंबित चौकीदार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के सहत सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4. श्री पासवान द्वारा उनके विरूद्ध निर्गत आदेश को समादेशवाद संख्या–13889/2021 के माध्यम से माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.12.2021 को याचिकाकर्ता को सक्षम अपीलीय प्राधीकार के समक्ष अपील समर्पित करने का निदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील अभ्यावदेन समर्पित किया गया जिसमे सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विस्तार से उनका पक्ष रखा गया।

6. श्री पासवान के अधिवक्ताओं द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया–

(i) जिला पदाधिकारी द्वारा श्री कृष्ण मोहन पासवान के इस कथन को संज्ञान में नही लिया गया की वे श्री अदालत पासवान (जिन्हें मद्य निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है) से पिछले पन्द्रह वर्षों से अलग रह रहे हैं।

(ii) श्री कृष्ण मोहन पासवान द्वारा मौखिक रूप से तीन ग्रामीणों के मृत्यु की सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई थी।

(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है।

7. सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन एवं मामले की सुनवाई के पश्चात इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तथ्य पाये गये है–

(i) जिला पदाधिकारी के स्तर से विभागीय कार्यवाही का संचालन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया है इसलिए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गयी है।

(ii) श्री पासवान द्वारा मौखिक रूप से सूचना दिए जाने का उल्लेख बचाव में किया गया है परन्तु उनके द्वारा किस पदाधिकारी को एवं कब घटना के संबंध में सूचित किया गया, इसके संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नही की गई है। जिसके कारण उनका

WEB COPY NOT OFFICIAL

	यह बचाव संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसलिए इस बचाव को मान्य नहीं किया जा सकता है। (ii) श्री पासवान द्वारा तीन ग्रामीणों की अवैध शराब के उपभोग के कारण हुई मृत्यु की सूचना थानाध्यक्ष को नहीं दिया जाना उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का स्पष्ट रूप से द्योतक है जबकी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के आदेश ज्ञापांक–8655 दिनांक–03.11.2017 द्वारा यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि **''यदि किसी क्षेत्र में शराब का अवैध निर्माण, भंडारण, व्यवसाय अथवा उपभोग की घटनाएँ प्रकाश में आती है, जिसके संबंध में घटना स्थल से संबंधित चौकीदार/दफादार एवं वरीय दफादार द्वारा ससमय संबंधित थानाध्यक्ष को सूचना नहीं दी गयी हो अथवा सूचना छुपाई गई हो तो उस क्षेत्र से संबंधित चौकीदार संवर्ग के कर्मी प्रथम दृष्टया दोषी माने जायेंगे और उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाए''।** अतएव अपील कर्ता श्री कृष्ण मोहन पासवान, चौकीदार, वीट संख्या–3/2, थाना–राजापाकर (बरौटी ओ0पी0), जिला–वैशाली के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के ज्ञापांक–601 दिनांक–10.05.2021 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध संसूचित शास्ति को यथावत रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL